



1	प्रधानाचार्य, राउमावि कोटपुरा, धौलपुर	श्री जगदीश प्रसाद जैन, व्या. राउमावि कोटपुरा, धौलपुर	राजाखेड़ा
2	प्रधानाध्यापक, रामावि कछपुरा, धौलपुर	श्री श्याम सुन्दर, व्या. राउमावि टोंटरी, धौलपुर	बाड़ी
3	प्रधानाचार्य, राउमावि सीकरी, भरतपुर	श्री सुदामा, व्या. राउमावि सीकरी, भरतपुर	नगर
4	प्रधानाचार्य, राउमावि फतेहपुर, पहाड़ी, भरतपुर	श्री प्रवेश कुमार, व्या. राउमावि फतेहपुर, पहाड़ी, भरतपुर	पहाड़ी


 वित्तीय सलाहकार,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

दिनांक: 22.05.2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/17-18/
 प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



 वरिष्ठ लेखाधिकारी
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017) के नियम-16 की अनुसूची-IV की टिप्पणी संख्या-4 के अनुसार "Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months."

Calendar year जनवरी से दिसम्बर होता है । अतः उपरोक्तानुसार आकस्मिक अवकाश कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है । आकस्मिक अवकाश चालू कलैण्डर वर्ष में ही स्वीकृत किया जा सकता है । कलैण्डर वर्ष समाप्ति के पश्चात् पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं । जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017

दिनांक: 22.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा ।
3. समस्त ग्रुप / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा ।
4. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
- ✓ 5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ को उनके ज्ञापन राप्राएवं माशिसं/बीका/प्रदेश/2018-19 दिनांक 11.04.2019 के क्रम में ।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर